वादपत्र – मुकदमा नं: 354/2012
उनवान – [illegible] व.स. मूलचंद

06/9/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0 वकुलाय प्रतिवादीगण अनु0। पत्रावली में वकुलाय प्रतिवादीगण अनु0 रहने एवं पूर्व मे कई मौके दिये जा चुकने के कारण बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया है कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति इस प्रकार है वर्तमान खसरा नंबर 442, 443, 445 वादीगण एवं अन्य खातेदारान रामनिवास पुत्र धुडाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। अतः वादीगण स्वयं की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 442, 443, 445 में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है । अतः वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 442, 443, 445 स्थित ग्राम पुराना बास की हद तक वाद वादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

अतः ग्राम पुराना बास पटवार हल्का पुराना बास तहसील नीमकाथाना स्थित वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 442, 443, 445 कुल किता 3 कुल रकबा 2.01 हैक्टे0 में वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल उत्पन्न नहीं करने व जबरन पुख्ता डंडा नही तोडने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:29:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner